REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092021-229987 CG-DL-E-27092021-229987

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3655] No. 3655] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/आश्विन 5, 1943 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

**का.आ. 3989(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा ।

तालिका			
क्र. सं.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण	
	राजमार्ग		
	सं.		
(1)	(2)	(3)	
615	216एच	आंध्र प्रदेश राज्य में पेडाना के निकट रारा-216 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर	
		गुडलावेल्लेरू, गुडीवाड़ा, हनुमान जंक्शन, नुजवीडू, विसन्नापेटा, मल्लेरा को जोड़ते हुए	
		और लक्ष्मीपुरम में रारा-30 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 3622(अ), दिनांकित 6 सितंबर, 2021 द्वारा किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/3/2021-पी एंड एम-(पार्ट-2)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

## New Delhi, the 27th September, 2021

**S.O. 3989(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
615	216H	The highway starting from its junction with NH-216 near Pedana connecting, Gudlavalleru, Gudivada, Hanuman Junction, Nuzveedu, Vissannapeta, Mallela, and terminating at its junction with NH-30 near Laxmipuram in the State of Andhra Pradesh.

**Footnote** : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 3622 (E), dated 6<sup>th</sup> September, 2021.

[F. No. . NH-14012/3/2021-P&M-Part(2)] RAJESH GUPTA, Director